

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

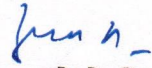
वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F2(क)निप/अलेसे । लिंक न . 2138 / 1170 दिनांक :- 26.08.2020

कार्यालय आदेश

श्री हरलाल हरिजन [लिंक न . 2138] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय II, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर - [12033] जिनकी जन्म तिथि 08/10/1961 है, ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 16/06/2020 द्वारा अपना नाम हरलाल हरिजन से परिवर्तित कर हरलाल किये जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के निर्णय 5 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के साधारण अंक संख्या 49 भाग संख्या 7 दिनांक 05/03/2020 में प्रकाशित बंध पत्र एवं समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 23/02/2020 के अंक में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम हरलाल विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- F2(क)निप/अलेसे । लिंक न . 2138 / 1170 दिनांक :- 26.08.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय II, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री हरलाल [2138] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय II, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)